ANNEXURE- III

Maharashtra University of Health Sciences, Nashik

Trust Deed / Bylaws/ Registration Certificate (Trust / Hospital (Bombay Nursing Act))

Faculty : Ayurveda
Name of College/Institute : Late Kedari Redekar Ayurvedic Mahavidyalaya, Gadhinglaj, Dist-Kolhapur

Name of Trust / Society		Late Kedari Redekar Shikshan Sanstha, Gadhinglaj
Registration Certificate		Trust / Society Society :- 13 Hospital (Bombay Nursing Act) :-
Name of the College / Institute (As per First Affiliation letter)	:	Late Kedari Redekar Ayurvedic Mahavidyalaya, Gadhinglaj
Address	:	P-2 MIDC Area Shendri Mal, Gadhingla, Dist-Kolhapur, Maharashtra -416502.
Email ID	:	bamsgad@gmail.com
Telephone / Mobile No.(s)	:	02327-224988, 224401
Website	:	lkrayucollege.ac.in
College Code	:	122110

Late Kedari Redekar Ayurvedic Mahavidyalaya P.G.TRAINING & RESEARCH CENTER GADHINGLAJ

Dean/ Principal Stamp & Signature

PRINCIPAL
Late Kedari Redekar Ayurvedic
Mahavidyalaya, P.G.Training and
Research Institute,Gadhinglaj

52

विशेष--ध. आ./मु. सा. वि./५० म.

क्रमांक

नोंदणी प्रमाणपत्र

संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६०

(१८६० चा अधिनियम २१)

नोंदणी क्रमांक महाराष्ट्र / ९३५०७ / कोल्हापूर

याद्वारे असे प्रमाणित करण्यात येते की, कै. केदारी रेडेकर शिक्षण संस्था गडहिंग्लज ता. गडहिंग्लज जि. कोल्हापूर

खालील तारखेस संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६० (सन १८६० चा अधिनियम २१) अन्वये योग्यरित्या नोंदणी करण्यात आली.

तारीख 30/5/ १९८५ रोजी माझ्या सहीनिशी दिले.

संस्थांचे सहाय्यक निबंधक,
विभाग.
सहाय्यक संस्था निबंधक
कोल्हापूर क्षेत्र, कोल्हापूर

ASSISTANT ... KOLHAPUR

TRUE COPY
Principal
Late Kedari Redekar Ayurvedic Mahavidyalaya P.G. Training and Research Centre Gadhinglaj

विशेष/ध.आ./मु.सा.वि./२म. 29 6

82

नोंदणीचे प्रमाणपत्र

याद्वारे प्रमाणपत्र देण्यात येते की, खाली वर्णन केलेली सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था ही आज, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० (सन १९५० चा मुंबई अधिनियम क्रमांक २९) या अन्वये कोल्हापूर येथील सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था नोंदणी कार्यालयात योग्य रीतीने नोंदण्यात आलेली आहे.

सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थेचे नाव कै. केदारी रेडेकर शिक्षण संस्था गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर

सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थांच्या नोंदणी पुस्तकातील क्रमांक एफ/९३३६४/कोल्हापूर

श्री सुनिल अर्जुन शिंदे, रा. [illegible], [illegible] रोड, गडहिंग्लज यास प्रमाणपत्र दिले.

आज दिनांक 3/01 १९९५ रोजी माझ्या सहीनिशी दिले.

शिक्का

सही [illegible]
धर्मादाय उप आयुक्त,
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,
कोल्हापूर प्रदेश, कोल्हापूर.

TRUE COPY
Principal
Late Kedari Redekar Ayurvedic Mahavidyalaya P.G. Training and Research Centre Gadhinglaj

आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर

(सन १९४९ च्या दि बॉम्बे नर्सिंग होम्स् रजिस्ट्रेशन ॲक्टच्या कलम ५ अन्वये दिलेले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट)

दि बॉम्बे नर्सिंग होम्स् रजिस्ट्रेशन ॲक्ट, १९४९ अन्वये

◈ प्रमाणपत्र ◈

डॉ. श्री./श्रीमती डॉ वीणा गुळाप्पा कंठी, वैद्यकीय अधिक्षक यांचे
कै॰ केदारी रेडेकर धर्मदाय रुग्णालय व संशोधन केंद्र
पी-2 एम.आय.डी.सी. शेंद्री माळ, गडहिंग्लज जि. कोल्हापूर

येथील नर्सिंग होम/मॅटर्निटी होम रजिस्टर केली असून सदरचे नर्सिंग होम व मॅटर्निटी होम चालविण्यास परवाना देणेत येत आहे.

रजिस्ट्रेशन क्रमांक :- १०२ प्रसुतीसाठी कॉटस् :- ६०

रजिस्ट्रेशन दिनांक :- ३०/३/२००७ इतर रुग्णांसाठी कॉटस् :- २४०

ठिकाण :- कोल्हापूर ३००

सर्टिफिकेट दिल्याचा दिनांक :- १२/४/२०२३

सदरचे सर्टिफिकेट दिनांक :- ३१/०३/२०२६ पर्यंत कार्यवाहीत राहील.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी
जिल्हा परिषद, कोल्हापूर

जिल्हा आरोग्य अधिकारी
जिल्हा परिषद, कोल्हापूर

Late Kedari Redekar Shikshan Sanstha's

Late Kedari Redekar Charitable Hospital & Research Centre, Gadhinglaj

P-2, M.I.D.C. Area, **Shendri Mal, GADHINGLAJ,** Dist.: Kolhapur (Maharashtra)
Ph. No. (02327) 222637, 224401, 224988

आयुर्वेदो ऽ मृतानाम् श्रेष्ठम् ।

President	Vice President	Secretary	Medical Superintendent
Smt. Anjana Kedari Redekar	Mr.Anirudh Kedari Redekar	Prof. Sunil Shintre	Dr. V. G. Kanthi
Mob. : 9923234555	**Mob. : 9923134555**	**Mob. : 9923231555**	**Mob. : 9404959685**

Ref. No. [illegible] Date : [illegible]

प्रति,
मा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी सो,
जिल्हा परिषद कोल्हापूर,
कोल्हापूर.

विषय :— सुश्रृषा व प्रसुतिगृह नोंदणी नुतणीकरण व कॅज्यूल्टी नोंदणीबाबत.
संदर्भ :— रूग्णालय नोंदणी प्रमाणपत्र.

महोदय,

वरील संदर्भानूसार आमच्या महाविद्यालयाशी संलग्न असणाऱ्या धर्मादाय रूग्णालयाच्या सद्याच्या नोंदणीप्रमाण पत्राची मुदत दि. ३१/०३/२०२३ रोजी संपत आहे तरी या नोंदणी नुतनीकरणासाठी आपणांस आवेदन देत आहे.

तसेच रूग्णालयामध्ये अत्यायिक विभाग (कॅज्यूल्टी) पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहे. त्याची नोंदणी व्हावी. यासाठी सुध्दा आवेदन देत आहे.

यासाठी आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे आपल्या कार्यालयाकडे पाठवित आहे. तरी आमच्या रूग्णालयाची नोंदणी नुतनीकरण व अत्यायिक विभागाची नोंदणी होवून त्वरीत मिळावी ही नम्र विनंती.

कळावे,

आपली विश्वासू,
(signature)
वैद्यकिय अधिक्षक

23/3/2023
लेखनिक
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
जिल्हा परिषद कोल्हापूर.

परिशिष्ट "अ" :-

दिनांक २६/०५/१९९८.

प्रति,

माननीय सहायक संस्था निबंधक,
कोल्हापुर विभाग,
कोल्हापुर.

विषय :- संस्था पंजीकरण अधिनियम १८६० के अधीन पंजीकरण के बारे में.

"स्व. केदारी रेडेकर शिक्षा संस्था,
गडहिंग्लज, जि. कोल्हापुर.

महोदय,

विषयांकित संस्था का पंजीकरण संस्था पंजीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन करना है। अत: आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं।

१] संगम ज्ञापन [मेमो रॅन्डम ऑफ असोसिएशन]

२] नियम और नियमसूची को सत्य प्रतिलिपी.

३] संस्था पंजीकरण के बारे में कार्यकारी बोर्ड के सभी सदस्यों का अनुमति पत्र.

४] संस्था का पता और उसकी संपत्ति के बारे में, अध्यक्ष या सेक्रेटरी का प्रतिज्ञापत्र २०/- [केवल बीस रुपये] रुपये के स्टॅंप पेपर पर, रुपये १.२५ पैसे वाले कोर्ट फी स्टॅंप समेत.

उपरोक्त संस्था के उद्देश्य सन १८६० के संस्था पंजीकरण अधिनियम की धारा २० के अनुसार है और मेरी जानकारी के अनुसार उपरोक्त संस्था के नाम से या संस्था के नाम सदृश्य अन्य कोई संस्था अस्तित्व में नही हैं। पंजीकरण शुल्क ५०/- [केवल पचास रुपये] अदा करने के लिए तैयार हैं। अत: अनुरोध है कि उपरोक्त संस्था, संस्था पंजीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन पंजीकृत की जाए।

भवदीय,

श्री. सुनिल शिंत्रे,

Principal
Late Kedari Redekar
Ayurvedic Mahavidyalaya
Gadhinglaj.

"परिशिष्ट-ब"

स्व. केदारी रेडेकर शिक्षा संस्था, गडहिंग्लज, जिला कोल्हापुर नामक संस्था का

// ज्ञापन //

[मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएशन]

१] संस्था का नाम	:	स्व. केदारी रेडेकर शिक्षा संस्था, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापुर.
२] संस्था का पता [कार्यालय/पत्राचार]	:	द्वारा श्री. सुनिल अर्जुन शिंत्रे, सचिव, "स्व. केदारी रेडेकर शिक्षा संस्था, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापुर" पो. गडहिंग्लज [काजूबाग], जि. कोल्हापुर।
३] संस्था का उद्देश्य	:	१] संस्था की ओर से बालवाडी, पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, महाविद्यालयीन आदि शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना।

२] संस्था की ओर से शुरू की जानेवाली शिक्षा में विज्ञान, तकनीकी, सैनिकी, कृषि, चिकित्सा, प्रबंधन, विधि, व्यवसायिक, कला, अध्यापन, अध्यापक आदि शिक्षा को प्राथमिकता देने का प्रयास करना।

३] शिक्षा कार्य हेतु आवश्यक भवन, जगह आदि उपलब्ध करना।

४] संस्था की ओर से छात्रावास, पुस्तकालय, खेल का मैदान आदि उपलब्ध करना।

५] छात्रों में राष्ट्र प्रेम, अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, प्रामाणिकता, अपनेपन की भावना, शांतता आदि गुणों को बढावा देने हेतु प्रयास करना।

६] छात्र/पालक/अध्यापकों की सभायें आयोजित करना और शिक्षा के बारे में आनेवाली कठिनाईयों का निराकरन करने का प्रयास करना।

Principal
Late Kedari Redekar
Ayurvedic Mahavidyalaya
Gadhinglaj.

७] राष्ट्रीय और सांस्कृतिक त्यौहार मनाना और उनके महत्व से लोगों/ छात्रों को अवगत कराना।

सचिव　　　　कोषाध्यक्ष　　　　उपाध्यक्ष　　　　अध्यक्ष

[४] "स्व. केदारी रेडेकर शिक्षा संस्था, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापुर" नामक इस संस्था के नियम और नियमसूची के अनुसार इस संस्था का प्रबंध, जिस प्रथम कार्यकारी बोर्ड सदस्यों को सौंपा गया है, उस प्रथम कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों के नाम, पते, पद, आयु, व्यवसाय, राष्ट्रीयत्व आदि का विवरण निम्नलिखित है :-

अ. क्र.	सदस्य का पूरा नाम और पता	पद	आयु	व्यवसाय	राष्ट्रीयत्व
१.	२.	३.	४.	५.	६.
१]	श्रीमती अंजना केदारी रेडेकर, निवासी पेद्रेवाडी, पो. कोवाडे, ता. आजरा, जि. कोल्हापुर।	अध्यक्षा	३५	नौकरी	भारतीय
२]	श्री. विजयकुमार रामचंद्र माडिकर, निवासी मेन रोड, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापुर।	उपाध्यक्ष	४८	व्यापार	भारतीय
३]	श्री. सुनिल अर्जुन शिंत्रे निवासी काजूबाग, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापुर।	सचिव	२५	नौकरी	भारतीय
४]	श्री. रविंद्र बलराज साळोखे, निवासी गांधीनगर, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापुर।	कोषाध्यक्ष	३९	व्यापार	भारतीय

Principal
Late Kedari Redekar
Ayurvedic Maha Vidyalaya
Gadhinglaj.

१.	२.	३.	४.	५.	६.
५]	श्री. मारुती कल्लाप्पा सावरे, निवासी भिमनगर, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर।	सदस्य	४०	सामाजिक कार्य	भारतीय
६]	श्री. तानाजी शंकर तेलवेकर, खनगावे गल्ली, गडहिंग्लज।	सदस्य	४०	नौकरी	भारतीय
७]	श्री. शिवाजीराव विठ्ठल कु-हाडे, २२५, एफ २४, अमिर हाऊस, ना. म. जोशी मार्ग, मुंबई।	सदस्य	४०	वकील	भारतीय

सचिव कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष

[४] हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, "स्व. केदारी रेडेकर शिक्षा संस्था, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापुर" नामक इस संस्था के सदस्य यह घोषणा करते हैं कि, संस्था पंजीकरण अधिनियम १८६० के तहत् अभिप्रेत की गई संस्था को अस्तित्व में लाने का हमारा इरादा है और उपरोक्त उद्देश्य से हम लोगोंने एक होकर, "स्व. केदारी रेडेकर शिक्षा संस्था, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापुर" नामक यह संस्था आज दिनांक ०१/०५/१९९८ को स्थापित की है और यह संस्था, संस्था पंजीकरण अधिनियम, १८६० के तहत् पंजीकृत करने हेतु हमने इस संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

अ. क्र. १.	सदस्य का पूरा नाम और पता २.	हस्ताक्षर ३.
१]	श्रीमती अंजना केदारी रेडेकर निवासी पेद्रेवाडी, पो. [illegible]	-----

Principal
Late Kedari Redekar
[illegible] Maha [illegible]dyalaya
Gadhinglaj.

* परिशिष्ट - क :-

"स्व. केदारी रेडेकर शिक्षा संस्था, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापुर"

: इस संस्था के :

:: नियम और नियमसूची ::

[१] नियमसूची के संदर्भित शब्दों को परिभाषा :-

१. संस्था/मंडल :-

इस संस्था/मंडल का तात्पर्य "स्व. केदारी रेडेकर शिक्षा संस्था, गडहिंग्लज, जिल्हा-कोल्हापुर" नामक संस्था/मंडल से है।

२. सदस्य :-

सदस्य का तात्पर्य, संस्था के पास, किसी व्यक्ति ने संस्था की सदस्यता हेतु संस्था के नियम और नियमसूची के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करके, आवेदन करने पर, संस्था के कार्यकारी मंडल ने, उक्त आवेदन को मंजूरी देने पर, उस व्यक्ति को इस संस्था का सदस्य माना जाएगा।

३. कार्यकारी मंडल :-

कार्यकारी मंडल का तात्पर्य संस्था की आम बैठक में सदस्यों द्वारा संस्था के दैनंदिन कामकाज का प्रबंध नियत अवधि के लिए जिनपर सौंपा है ऐसे ७ [सात] सदस्यों की समिति से है, जिसका उल्लेख इसमें आगे कार्यकारी मंडल के रूपमें किया जाएगा।

४. बैठक :-

बैठक का तात्पर्य संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्था के सदस्यों से विचार-विमर्श करके निर्णय लेने के लिए बुलाई गई बैठक से है।

Principal
Late Kedari Redekar
... Mahavidyalaya
Gadhinglaj.

१.	२.	३.
२]	श्री. विजयकुमार रामचंद्र माडिकर मेन रोड, गडहिंग्लज।	-----
३]	श्री. रविंद्र बलराज साळोखे, गांधीनगर, गडहिंग्लज।	-----
४]	श्री. सुनिल अर्जुन शिंत्रे, काजू बाग, गडहिंग्लज।	-----
५]	श्री. मारुती कल्लाप्पा सावरे, भिमनगर, गडहिंग्लज।	------
६]	श्री. तानाजी शंकर तेलवेकर, खनगावे गल्ली, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापुर।	-----
७]	श्री. शिवाजीराव विठ्ठल कु-हाडे, २२५, एफ२४, अमिर हाऊस, ना. म. जोशी मार्ग, मुंबई-१३।	------

स्थल :- गडहिंग्लज, जि. कोल्हापुर स्थापना दि. ०१. ०५. १९९८

-=-

उपर हस्ताक्षर करनेवाले सभी व्यक्तियों को मैं जानता हूँ। उन्होंने मेरे समक्ष उपरोक्त हस्ताक्षर किये हैं।

दिनांक : ०१/०५/१९९८।

[मुहर]

हस्ताक्षर :-

[वकिल/चार्टर्ड अकौंटंट/
वि. कार्य. दंडाधिकारी]

नाम :- शिवाजी लक्ष्मण पोटजाळे

पता :- नवीन कुंभार वसाहत,
गडहिंग्लज।

Principal
Late Kedari Redekar
... Mahavidyalaya
...inglaj.

[२] कार्यक्षेत्र :- महाराष्ट्र राज्य।

[३] लेखा वर्ष :- लेखा वर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक रहेगा।

[४] सदस्यता और उसके पंजीकरण की पध्दति :-

संस्था की नीतियाँ और दृष्टिकोन जिसे मान्य है और संस्था के नियम और नियमसूची के अनुसार आचरण करने के लिए तैयार है, ऐसे १६ वर्ष से उपरी आयु के व्यक्ति, इस संस्था के सदस्य हो सकेंगे। इस संस्था की सदस्यता पाने के इच्छुक व्यक्ति ने, संस्था द्वारा विहित फार्म में जानकारी भरकर कार्यकारी मंडल के दो सदस्यों की सिफारिस उनके हस्ताक्षर के साथ लेनी होगी। उस आवेदन कार्यकारी मंडल की बैठक में २/३ [दो तिहाई] बहुमत से मंजूर होने पर उस व्यक्ति को इस संस्था के सदस्य के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। संस्था का प्रवेश शुल्क फ्री रु.५/- [रुपये पाँच] होगा।

[५] सदस्यों के प्रकार :-

१] संस्थापक सदस्य :- जो सदस्य संस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ऐसे सदस्यों को इस संस्था का संस्थापक सदस्य माना जाएगा।

२] साधारण सदस्य :- जो सदस्य संस्था का वार्षिक शुल्क रु.३०/- [रुपये तीस केवल] समय समय पर अदा करेंगे ऐसे सदस्यों को साधारण सदस्य माना जायेगा। वार्षिक शुल्क कम-अधिक करने का अधिकार, आम बैठक की अनुमति से कार्यकारी मंडल को होगा। इस प्रकार जमा शुल्क किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।

३] आश्रयदाता सदस्य :- जो सदस्य संस्था को रु.५००/- [रुपये पाँच सौ केवल] देंगे, ऐसे सदस्यों को आश्रयदाता सदस्य माना जाएगा। ऐसे सदस्यों को संस्था का प्रवेश शुल्क और वार्षिक शुल्क अदा नहीं करना पडेगा। ऐसे सदस्यों को संस्था के कार्यकारी मंडल के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार भी नहीं होगा।

Principal
Late Kedari Redekar
Ayurvedic Mahavidyalaya
Gadhinglaj.

४. माननीय सदस्य :-

जो सदस्य संस्था को विभिन्न प्रकार की सहायता करेंगे, अर्थात् वित्तीय विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध करवायेंगे ऐसे सदस्यों को माननीय सदस्य कहा जाएगा। ऐसे सदस्यों को संस्था के कार्यकारी मंडल के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे सदस्यों को संस्था का प्रवेश शुल्क और वार्षिक शुल्क अदा करनेकी शर्त लागू नहीं होगी।

[६] सदस्यता रद्द करने

अ] संस्था की सदस्यता निम्न कारणों से रद्द हो सकेगी। १] मृत्यु होनेपर, [२] विकृतचित्त का होनेपर [३] इस्तीफा देनेपर, [४] गंभीर अपराध के लिए दंड होनेपर, [५] संस्था विरोधी कार्य या कृत्य करनेपर, [६] वार्षिक शुल्क देने में टाल मटोल करनेपर या अपात्र होनेपर।

ब] यदि किसी सदस्य को संस्था से हटाना हो तो उसके विरुद्ध संस्था विरोधी कृत्य किये जाने का आरोप रखना जिसप्रकार आवश्यक है उसीप्रकार उस सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देना भी आवश्यक है और कार्यकारी मंडल के विचार-विमर्श के बाद, आम बैठक की अनुमति से उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त कर सकेगा।

क] सदस्यों के अधिकार और निर्बंध :-

१] संस्था के उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से, आम बैठक में लिखित या मौखिक रूप में कोई भी प्रस्ताव रखने का अधिकार सदस्य को होगा।

२] आम बैठक में अपने विचार प्रकट करने का अधिकार सदस्य को होगा।

३] कार्यकारी मंडल के सदस्यों के चुनाव में मत देने, नये प्रस्ताव को अनुमति देने या न देने, उद्देश्य पूर्ति के लिए नयी योजना या कार्यक्रम प्रस्तुत करने, कार्यकारी मंडल की सदस्यता के लिए उम्मीदवारी घोषित करने, आदि जैसे मलभत कार्य सदस्यों को करने होंगे।

Principal
Late Kedari Redekar
Ayurvedic Maha Vidyalaya
Gadhinglaj.

४] चुनाव में खडे होने और मतदान करने के लिए, सदस्य को संस्था की कम-से-कम एक वर्ष की सदस्यता पूरी करनी होगी।

५] संस्था के अध्यक्ष या सेक्रेटरी की लिखित अनुमति से, संस्था के गोपनीय दस्तावेजों को छोडकर, अन्य दस्तावेज देखने का अधिकार सदस्य को होगा।

६] सदस्य, संस्था के नीतिविषयक निर्णय और रोजमर्रा के कामकाज की गोपनीयता किसी के सामने प्रकट नही करेगा।

७] यदि संस्था के पदाधिकारियों के बारे में कुछ गलतफहमी, मतभेद पैदा होता है तो उस बारे में प्रथमत: अध्यक्ष को, उसके बाद कार्यकारी मंडल और बाद में वार्षिक बैठक में उसे उपस्थित करने का अधिकार सदस्य को होगा।

[७] आम बैठक, उसके अधिकार और कार्य :-

अ] संस्था की आम बैठक हरसाल के लेखा वर्ष की समाप्ति से छह महिने के भीतर आयोजित की जानी चाहिए। ऐसी वार्षिक बैठक के लिए जरूरी रिपोर्ट, लेखा तैयार करके रखने चाहिऐ और उसे आम बैठक के समक्ष रखकर उसकी मंजूरी लेनी चाहिए।

ब] संस्था को उपयोगी साबित हों ऐसे व्यक्तियों को, कार्यकारी मंडलके बैठक की अनुमति से आमंत्रिती के रूप में वार्षिक बैठक में बुलाया जा सकेगा। परन्तु ऐसे व्यक्ति को मत देने का अधिकार नही होगा।

क] आम बैठक शुरू करने से पूर्व सभापति ने बैठक की गणपूर्ति [कोरम] हुई है अथवा नहीं इस बात की निश्चिति करनी चाहिए। सभी सदस्यों को इस बैठक की सूचना पंद्रह दिन पहले ही भेजनी चाहिऐ। प्रथमत: इस बैठक की सूचना पढ़कर उक्त सूचना सभी सदस्यों को भेजे जाने के बारे में बैठक के सदस्यों का विश्वास दिलाना चाहिए। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को नोट करके, बैठक में रखे गये प्रस्ताव और मंजूरी मिले प्रस्ताव को कार्यवाही पुस्तिका [प्रोसिडींग बुक] में नोट करना आवश्यक हैं। इस कार्यवाही पुस्तिका

Principal
Late Kenari Redekar
Ayurvedic Maha 'dyalaya
Gadhinglaj.

में दर्ज प्रस्ताव और मंजूरी मिले प्रस्ताव सदस्यों को उनकी बैठक में पढ़कर सुनाना चाहिऐ और आगामी आम बैठक में फिर एक बार उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाना चाहिए और प्रस्ताव के अंत में "बैठक का उपरोक्त कार्यवृत्त पढ़कर सुनाया और वह स्थायी किया जाता है" ऐसा लिखकर सभापति ने हस्ताक्षर करके दिनांक लिखना आवश्यक है।

ड] वार्षिक आम बैठक के कार्य :-

कार्यकारी मंडल की पदावधि समाप्त होने के बाद नया कार्यकारी मंडल, पदाधिकारी/सदस्यों का चयन करना, कार्यकारी मंडल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, लेखा आदि मंजूर करना, नियम-नियमसूची में संशोधन करना, संस्था की नीति तय करना, सदस्यों द्वारा पूर्व सूचना देकर बैठक में रखे गये कार्य चलाना आदि।

[८] आम बैठक की सूचना [नोटीस] :-
और गणपूर्ति [कोरम]

आम बैठक की सूचना, बैठक के दिन से पंद्रह दिन पूर्व देनी चाहिए। उक्त सूचना प्राप्ति के बारे में अलग रजिस्टर में उनका हस्ताक्षर लेना चाहिए। यदि किसी सदस्य को बैठक की सूचना डाक या हैंड डिलीव्हरी से भेजे जाने के बावजूद वह उसे प्राप्त न होने पर भी बैठक में मंजूर कामकाज में रूकावट नहीं आयेगी। बैठक की गणपूर्ति [कोरम] कुल सदस्यों में से २५ [पच्चीस] या कुल सदस्यों में से ३/८ [तीन अष्ठमांश] सदस्यों से जो भी कम हो, से पूरी होगी। अध्यक्ष ने गणपूर्ति न होने की दशा में स्थगित की हुई बैठक को आधे घंटे के भीतर उसी स्थान पर फिर से बुलानी चाहिए। ऐसी बैठक में गणपूर्ति का बंधन नहीं होगा। इसप्रकार का स्पष्ट उल्लेख बैठक की सूचना में विनिर्दिष्ट करना आवश्यक है।

[९] विशेष आम बैठक और उसके कार्य :-

यदि कार्यकारी मंडल द्वारा सभी सदस्यों के समक्ष महत्वपूर्ण विषय रखने का निर्णय किया जाता है तो विशेष आम बैठक बुलाई जायेगी।

Principal
Late Kedari Redekar
Ayurvedic Mahavidyalaya
Gadhinglaj.

गणपूर्ति को छोडकर, आम बैठक के अन्य सभी नियमों का पालन किया जायेगा। उसीप्रकार कुल सदस्य संख्या के अलावा अन्य सभी नियमों का पालन किया जायेगा। कुल सदस्य संख्या के १/४ [एक चौथाई] सदस्यों ने बैठक बुलाने को लिखित में माँग करने पर अतिरिक्त आम बैठक बुलानी चाहिए।

[१०] संस्था का कार्यकारी मंडल, पदाधिकारियों की रचना :-

१] संस्था के कुल ७ [सात] सदस्यों का कार्यकारी मंडल रहेगा। उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष ऐसे चार पदाधिकारी और अन्य कार्यकारी सदस्य होंगे।

२] जरूरत पडने पर कार्यकारी मंडल के सदस्यों की संख्या ९[नौ] तक बढाने का अधिकार कार्यकारी मंडल को रहेगा।

३] कार्यकारी मंडल के सभी सदस्यों की सूची, सन् १८६० के संस्था पंजीकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, न्यास पंजीकरण कार्यालय के पास अनुसूची १ में भेजी जायेगी। अनुसूची १ का नमुना इस नियम और नियमसूची के साथ संलग्न है।

४] संस्था का कार्यकारी मंडल जरूरत पडने पर सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति कर सकेगा।

५] कार्यकारी मंडल, प्रबंध हेतु जरूरत पडने पर कार्यकारी मंडल/पदाधिकारी/सदस्य और संस्था के अन्य सदस्यों की एक या अधिक उप-समितीयाँ गठित कर सकेगा। इस समितियों के रिक्त पद, कार्यकारी मंडल बहुमत द्वारा भरेगा।

६] कार्यकारी मंडल का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य, यदि संस्था के कार्यकारी मंडल की बैठक को लिखित कारण दिये बगैर, लागातार तीन बैठक में अनुपस्थित रहता है तो, कार्यकारी मंडल को उसकी सदस्यता/पद अपने आप रद्द किया जायेगा।

Principal
Late Kedari Redekar
Ayurvedic Mahavidyalaya
Gadhinglaj.

[११] कार्यकारी मंडल की पदावधि और चयन की रीति :-

१. कार्यकारी मंडल की पदावधि पाँच वर्ष की होगी और प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद इस कार्यकारी मंडल का चयन वार्षिक आम बैठक में बहुमत द्वारा किया जायेगा।

२. वार्षिक आम बैठक में जब कार्यकारी मंडल के पदाधिकारी और सदस्यों का चयन करना है तब वह बहुमत द्वारा करना है और इसलिए उपस्थित सदस्यों ने हाथ उपर उठानेपर अध्यक्ष ने मतगनना करके अध्यक्ष का समाधान होने पर चयन किये जाने के बारे में घोषणा करनी चाहिए और यह चयन सभीपर बंधनकारी होगा।

[१२] कार्यकारी मंडल के अधिकार और उनके कार्य :-

कार्यकारी मंडल के पदाधिकारियोंमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष होंगे। उनके कार्य निम्नलिखित होंगे :-

अध्यक्ष :-

१. संस्था के कुल कामकाज पर नियमित रूप से नियंत्रण और निगरानी रखना।

२. संस्था के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, दैनंदिन कामकाज के संदर्भ में आनेवाले कार्य करना।

३. वार्षिक बैठक, आम बैठक, कार्यकारी मंडल की बैठक, इन सभी बैठकों की अध्यक्षता करना और इन बैठकों को नि:पक्षतापूर्वक संचालित करना।

४. समान मत पडने पर निर्णायक मत देना।

५. यदि संस्था के सचिव ने संस्था का कामकाज सही ढंग से नहीं किया तो खुद के अधिकार में कार्यकारी मंडल की या वार्षिक बैठक बुलाकर उसमें सचिव के बारे में निर्णय लेना।

Principal
Late Kedari Redekar
Ayurvedic Mahavidyalaya
Gadhinglaj.

उपाध्यक्ष :-

१. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सभी कार्य करना और संस्था के सभी कार्य में उनको सहायता करना।

२. संस्था को जरुरत पडने पर उप-समितियों की अध्यक्षता स्वीकार करके संस्था के कार्य को गति प्रदान करना।

सचिव :-

१. संस्था की नीति के अनुरुप कार्यकारी मंडल की सूचना के अनुसार संस्था का दैनंदिन कामकाज करना।

२. अध्यक्ष की सहमति से समय-समय पर कार्यकारी मंडल की बैठक बुलाना और उसका कार्यवृत्त लिखना।

३. कार्यकारी मंडल और कर्मचारिवृन्द में समन्वय स्थापित करना और उनके दैनंदिन कामकाज पर निगरानी रखना।

४. संस्था का पत्राचार करना और कार्यालय सम्हालना।

५. संस्था द्वारा प्राप्त राशि मान्यताप्राप्त बैंक में जमा करना और उसके संदर्भ में अन्य कार्य करना। सचिव, दैनंदिन खर्च के लिए रु. १००/- [रुपये सौ केवल] इतनी रकम अपने पास रख सकेगा। और अध्यक्ष की सलाह से रु. ५०/- [रुपये पचास केवल] खर्च कर सकेगा। परन्तु ऐसे खर्च को यथाशीघ्र बाद में होनेवाली कार्यकारी ~~मंजूरी~~ मंडल की बैठक में उसे मंजूरी लेनी होगी।

कोषाध्यक्ष :-

१. संस्था के लिए उपयोग में लायी जानेवाली बहियाँ, रसीद पुस्तक, वाउचर आदि बनाये रखना।

२. संस्था का लेखा रखना।

Principal
Late Kenari Redekar
Ayurvedic Maha [illegible]dyalaya
Gadhinglaj.

[१३] कार्यकारी मंडल की बैठक :-

कार्यकारी मंडल की बैठक दो महिने में कम से कम एक बार बुलानी चाहिए। विशेष प्रसंगपर किसी महत्वपूर्ण आपातकालीन विषयपर निर्णय लेना आवश्यक हो तो समयाभाव के कारण सचिव या अध्यक्ष की अनुमति से कार्यकारी मंडल के सदस्यों से उनका लिखित मत मँगाया जायेगा और उस बहुमत से वह प्रस्ताव मंजूर या नामंजूर करार दिया जाएगा और उसकी मंजूरी ली जायेगी।

[१४] कार्यकारी मंडल के बैठक की सूचना और गणपूर्ति :-

१. कार्यकारी मंडल के बैठक की सूचना बैठक के दिनसे कम-से-कम ४ [चार] दिन पूर्व भेजनी चाहिए।

२. कार्यकारी मंडल की बैठक में ३/४ [तीन चौथाई] की गणपूर्ति [कोरम] होनी चाहिए। उसी प्रकार गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक आधे घंटे में उसी स्थान पर उसी समय फिर से ली जायेगी। इसप्रकार की सूचना बैठक की सूचना [नोटीस] में होनी जरूरी है।

[१५] कार्यकारी मंडल की रिक्ति भरने के बारे में :-

यदि कार्यकारी मंडल का कोई पद रिक्त होता है तो ऐसी रिक्ति कार्यकारी मंडल के अन्य सदस्यों के बहुमत द्वारा भरी जायेगी।

[१६] कार्यकारी मंडल के चयन के नियम :-

इस नियम और नियमसूची की धारा ११ के अधीन संस्था के कार्यकारी मंडल का चयन हर पाँच वर्ष के बाद आम बैठक में बहुमत द्वारा किया जायेगा। कार्यकारी मंडल के सभी सदस्यों की सूची, सन् १८६० के संस्था पंजीकरण अधिनियम के अनुसार, न्यास पंजीकरण कार्यालय के पास, अनुसूची २ में भेजी जायेगी। अनुसूची २ का नमूना, इस नियम और नियमसूची को संलग्न है।

Principal
Late Kedari Redekar
Ayurvedic Maha Vidyalaya
Gadhinglaj.

[१७] कार्यकारी मंडल के अधिकार और कर्तव्य :-

अ] संयुक्त बैठक :- आम बैठक में बहुमत द्वारा कार्यकारी मंडल का चयन किये जाने के दिनांक से ८ [आठ] दिन के भीतर संस्था के भूतपूर्व पदाधिकारी, सदस्यों ने नये पदाधिकारियों और सदस्यों को इस संस्था के प्रबंध का अर्थात् संस्था का कार्यालय, दस्तावेज, चल तथा अचल संपत्ति, लेखा और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं आदि का कब्जा देना होता है और जरूरी बातों को लिखित में हस्ताक्षर करके नोट करना होता है।

ब] संस्था के पंजीकरण कार्यालय के पास, संस्था का नया कार्यकारी मंडल अस्तित्व में आता है तो ऐसा परिवर्तित रिपोर्ट [चेंजरिपोट, आवेदन, प्रस्ताव आदि] प्रस्तुत करके नये कार्यकारी के पदाधिकारी और सदस्यों के नामों को दर्ज करना पडता है। इस बारे में आवश्यक कार्यवाही भूतपूर्व और नये अध्यक्ष को तत्काल करनी चाहिए।

क] संस्था के नाम बैंक खाते मे जमा रकम निकालने का अधिकार, भूतपूर्व पदाधिकारियों ने नये पदाधिकारियों को देना होता है। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति, उपरोक्त धारा [अ] में उल्लिखित रीत्या करनी है।

ड] संस्था का दैनंदिन कामकाज देखना, कर्मचारीवृन्द को नियुक्ति करना, स्थानांतरण करना, सेवानिवृत्त करना, संस्था के लेन-देन का व्यवहार करना, कर्मचारीवृन्द पर निगरानी रखना और इस संदर्भ में अन्य कार्य करना।

२. संस्था के आगामी कार्य की दिशा निश्चित करना, बजट, लेखा आदि तैयार करना और वार्षिक बैठक में उन्हे प्रस्तुत करना और उसपर मंजूरी लेना।

३. सन् १८६० के संस्था पंजीकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, संस्था का लेखा रखना और उसकी वार्षिक लेखा परीक्षा [ऑडिट] चार्टर्ड अकांऊन्टंटसे करवाकर विहित प्रपत्र में न्यास पंजीकरण कार्यालय के पास विहित अवधि में भेजना।

Principal
Late Kenari Redekar
Ayurvedic Mahavidyalaya
Gadhinglaj.

४. संस्था के चयन किये गये व्यक्तियों की जानकारी और विवरण, सन् १८६० के संस्था पंजीकरण अधिनियम की धारा ४ [अ] और सन् १९७१ के नियमों के उपबंधों के अनुसार नियम क्र. ८ के तहत् अनुसूची २ के नमुने न्यास पंजीकरण कार्यालय के पास भेजा जाएगा। अनुसूची २ का नमूना इस नियम और नियमसूची को संलग्न है।

५. संस्था के आंतरिक लेखों की लेखा-परीक्षक से परीक्षा करवाकर आय और व्ययपत्रक, तुलनपत्र, रिपोर्ट आदि तैयार करके वार्षिक बैठक के समक्ष प्रस्तुत करना।

६. नियमानुसार अन्य आनुषंगिक कार्य करना।

[१८] कर्ज या जमा संबंधी प्रावधान :-

संस्था, जरुरत पडनेपर बैंक, वित्तीय संस्था से ऋण ले सकेगी और उसका विनियोग संस्था की नीति के लिए ही किया जाएगा। उक्त ऋण लेते समय, मुंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियम सन् १९५० के उपबंधों का पालन किया जायेगा।

[१९] संस्था का निधि, प्राप्ति और विनियोग :-

संस्था का निधि बढाने के लिए चंदा इकठ्ठा करना, कानूनी तौरपर ब्याजसमेत या ब्याजरहित कर्ज इकठ्ठा करना, ब्याजरहित जमा राशि इकठ्ठा करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना या अन्य कानूनी ढंगसे संस्था के लिए निधि इकठ्ठा करना, उसीप्रकार सरकारी/अर्धसरकारी या निजी अनुदान प्राप्त करना और संस्था के सदस्यों की सदस्यता शुल्क आदि जैसे मदों का उपयोग करना।

[२०] उद्देश्यवार खर्च का प्रावधान [प्रतिशत के अनुसार] :-

१. उपरोक्त मद क्र. १९ में उल्लिखित रीत्या संस्था को प्राप्त जमा राशि से कर्ज और जमा राशि की रकम को छोडकर शेष राशि से दस प्रतिशत राशि हरसाल, गंगाजली [आरक्षित निधि] के रूप में अलग से रखी जायेगी।

Principal
Late Kedari Redekar
Ayurvedic Mahavidyalaya
Gadhinglaj.

२. संस्था के ज्ञापन में उल्लिखित उद्देश्यों पर अर्थात् उद्देश्य क्र. १ से ४ पर ६० प्रतिशत और अन्य शेष उद्देश्यों पर ४० प्रतिशत राशि खर्च की जायेगी।

३, विशिष्ट प्रसंगो के उद्देश्यों की प्रतिशतता में बदलाव, इस संस्था की आम बैठक में जैसा प्रस्ताव पारित हो उस प्रकार से संबंधित वर्ष में किया जायेगा।

[२१] स्थावर सम्पति के क्रय या विक्रय के बारेमें उपबंध :-

संस्था की स्थावर सम्पति न होने के कारण विक्रय का प्रावधान नहीं किया गया है। संस्था को भविष्य में स्थावर सम्पति का क्रय या विक्रय करना पडा तो ऐसा व्यवहार विद्यमान कानून के तहत् करना होगा।

[२२] बैंक खाता और रकमों का लेन-देन :-

१. संस्था के नाम से राष्ट्रीयकृत या मान्यता प्राप्त बैंक में खाता खोलकर, वह खाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव इन तीनों में से किसी भी दो के हस्ताक्षर से प्रवर्तित किया जा सकेगा।

२. इस नियम और नियमसूची की धारा १७ [अ] के अधीन, दस्तावेजों की पूर्ति करना।

[२३] सदस्यों की सूची रखने की रीति :-

सन् १८६० के संस्था पंजीकरण अधिनियम की धारा १५ के अनुसार, संस्था के जो सदस्य है, ऐसे व्यक्तियों की सूची, सन् १९७१ के संस्था पंजीकरण [महाराष्ट्र] नियम की धारा १५ के अनुसार, अनुसूची ६ के नमूने में रखी जायेगी। अनुसूची ६ का नमूना इस नियम और नियमसूची को संलग्न है।

Principal
Late Kedari Redekar
Ayurvedic Maha-Vidyalaya
Gadhinglaj.

[२४] संस्था के नाम और उद्देश्य में परिवर्तन करने संबंधी उपबंध :-

यदि संस्था के नाम या उद्देश्य में परिवर्तन करना है या दो या अधिक संस्थाओं का विलनीकरण करना है तो सन् १८६० के संस्था पंजीकरण अधिनियम की धारा १२ या १२-अ के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

[२५] नियम और नियमसूची में परिवर्तन करने संबंधी उपबंध :-

संस्था के कार्यकारी मंडल ने या किसी सदस्य ने, संस्था के विद्यमान नियम और नियमसूची में संशोधन करने के बारे में यदि सूचना दी हो तो वार्षिक आम बैठक में, उपस्थित सदस्यों के ३/५ [तीन पंचमांश] मत से वह मंजूर किया जायेगा।

[२६] संस्था का विसर्जन :-

संस्था का विसर्जन करना हो तो सन् १८६० के संस्था पंजीकरण अधिनियम की धारा १३ या १४ के उपबंधों के अधीन उचित कार्यवाही की जायेगी।

Principal
Late Kedari Redekar
Ayurvedic Mahavidyalaya
Gadhinglaj.